न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 47/2017 **दायरा दिनांक : 21.03.2017**

उनवान

बुद्ध राज सिंह आत्मज श्री डूगर सिंह उर्फ बापू सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— श्री राज सिंह आत्मज श्री रेवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोडक्या वायां आजन्दा, पोस्ट आजन्दा, तहसील केशोराय पाटन, जिला बून्दी राजस्थान

2— श्री बुद्ध राज सिंह आत्मज श्री रेवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोडक्या वायां आजन्दा, पोस्ट आजन्दा, तहसील केशोराय पाटन, जिला बून्दी राजस्थान

3— श्री नारायण सिंह आत्मज श्री रेवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोडक्या वायां आजन्दा, पोस्ट आजन्दा, तहसील केशोराय पाटन, जिला बून्दी राजस्थान

4— श्री गोपाल सिंह आत्मज श्री रेवत सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोडक्या वायां आजन्दा, पोस्ट आजन्दा, तहसील केशोराय पाटन, जिला बून्दी राजस्थान

5— नरेन्द्र सिंह आत्मज शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

6— बहादुर सिंह आत्मज शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

7— दशरथ सिंह आत्मज शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

8— शंकर कंवर आत्मज शिवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

9— जसवन्त सिंह आत्मज नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

10— श्याम सिंह आत्मज नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

11— मनोहर सिंह आत्मज नन्द सिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड

12— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सुदामा राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.07.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या — 97/12017 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बुढ़ मण्डावर, तहसील असनावर में जमाबंदी संख्या 115 की आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, फूल कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह के खाते में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम बूढ मण्डावर

की आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 353 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 357 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 5 किता की 5 बीघा 15 बिस्वा आराजी दर्ज है, जिसमें फूल कंवर का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण 5 लगायत 8 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 9 लगायत 11 का 1/3 हिस्सा है । फूल कंवर के पिता लक्ष्मण सिंह वादी के बड़े भाई थे, जिसने अपने जीवनकाल में दिनांक 05.05.1978 को अपनी अंतिम वसीयम वादी के पक्ष में निष्पादित की थी, जिसमें सहमति स्वरूप उनकी पत्नी केसर कंवर व पुत्री फूल कंवर के हस्ताक्षर किये थे, जिस पर कब्जा वादी का है । लक्ष्मण सिंह का क्रियाकर्म वादी ने ही किया था । अतः वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.01.2017 को निर्णय पारित कर रिलीज डीड निष्पादन के निर्देश दिये हैं, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा 88, 89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था और खातेदारी हक घोषणा की सहायता चाही थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामे पर साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय कर दिया है जो असंवैधानिक है । फूल कंवर के पिता लक्ष्मण सिंह वादी के पिता के बड़े भाई थे, जिसने अपने जीवन काल में दिनांक 05.05.1978 को अंतिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की थी, सहमतिस्वरूप उनकी पत्नी केसर बाई और पुत्री फूल कंवर के हस्ताक्षर थे । केसर बाई और फूल कंवर का देहान्त हो चुका है । ऐसी स्थिति में इस वसीयतनामे के आधार पर इस आराजी का एक मात्र खातेदार वादी अपीलांट घोषित होने योग्य है । केम्प मण्डावर में दिनांक 18.06.2016 को सहमति भी जाहिर की गई थी और हस्ताक्षर भी किये गये थे । वसीयत को अंतिम वसीयत स्वीकार भी किया था । ऐसी स्थिति में

खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । इसके बावजूद रिलीज डीड निष्पादन के आदेश दिये हैं, जो अवैध है । पक्षकारान सहखातेदार नहीं हैं । ऐसी स्थिति में रिलीज डीड का निष्पादन नहीं हो सकता है । वसीयतनामे को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है । वसीयत का कोई विवाद नहीं था । ऐसी स्थिति में दावे को स्वीकार करना चाहिए था । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4. अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.03.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वसीयत की प्रति पेश की गई है । वसीयत के बाबत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों ने सहमति दी है फिर भी दावा डिक्री नहीं किया है और रिलीजडीड हेतु निर्देशित किया गया है जबकि जिनका नाम खाते में दर्ज है, वह सहखातेदार नहीं है । वसीयत पर कोई विवाद नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपीलांट वादी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

8. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति वसीयत, नकल जमाबंदी सम्वत 2051–54, नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा तलबी में लम्बित था इसको लोक अदालत में रखा गया है । लोक अदालत में दिनांक 18.06.2016 को वादी और प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उपस्थित हुए हैं और आदेशिका दिनांक 13.01.2017 के अनुसार पत्रावली पर जो सहमति पत्र सलंग्न है वो समस्त पक्षकारानों द्वारा हस्ताक्षरित है और पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा है । इस सहमति पत्र के अनुसार वादी का दावा स्वीकार करने में सभी ने सहमति जताई है ।

10. वादी ने दावा वसीयत के आधार पर पेश किया है परन्तु पत्रावली पर उनके द्वारा न तो असल वसीयत पेश की गई है और न ही उसकी कोई प्रमाणित प्रति पेश की है और न ही इस वसीयत को प्रमाणित करने के लिए कोई गवाह पेश किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए पक्षकारों को रिलीज डीड निष्पादित करने के निर्देश दिये हैं जबकि पक्षकारान सहखातेदार नहीं है । रिलीजडीड सहखातेदारों के द्वारा ही निष्पादित की जा सकती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण

है । वादीगण ने यदि वसीयत के अनुसार हक घोषणा चाही है तो उन्हें विधिक रूप से असल वसीयत अथवा वसीयत की प्रमाणित पेश कर उसे प्रमाणित करवाना होगा, इस हेतु हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पैरा संख्या 9 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाता हैं कि वादीगण को अपने दावे को सिद्ध करने के लिए समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जाये । प्रतिवादीगण भी अधीनस्थ न्यायालय में अपना कथन करने के लिए स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10. 2018 को उपस्थित होवें ।

12. निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा